उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय,लखनऊ।

परिपत्रांक : सी–51 /ग्रेच्युटी सेल एवं बीमा/2017–18 दिनांक : 25.09.2017

समस्त प्रबन्धक श्रेणी–1/2/3,
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

"अति आवश्यक/महत्वपूर्ण"

बैंक में कार्यरत समस्त नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों के एक नवम्बर के वेतन के आधार पर प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर में भारतीय जीवन बीमा निगम को कर्मचारियों/अधिकारियों की ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अतः आप निम्नलिखित प्रारुप पर सभी नियमित कार्मिकों की वेतन दर की सूचना नवम्बर, 2017 के प्रथम सप्ताह में निश्चित रुप से पंजीकृत डाक/ई–मेल के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना दिनांक 02.11.2016 से दिनांक 01.11.2017 तक की अवधि में सभी कार्यरत कर्मचारियों का अधोलिखित बिन्दुओं का समावेश करते हुए प्रेषित करें :–

1. बैंक में उक्त अवधि में कार्यरत सभी नियमित कार्मिकों की सूचना (प्रतिनियुक्ति को छोड़कर)।
2. उक्त अवधि में निलम्बित कर्मचारियों की सूचना।
3. उक्त अवधि में त्यागपत्रित कर्मचारियों की सूचना।
4. उक्त अवधि में मृतक कर्मचारियों की सूचना।
5. उक्त अवधि में सेवापृथक/सेवाच्युत कर्मचारियों की सूचना।
6. उक्त अवधि में नई नियुक्ति/भर्ती कर्मचारियों की सूचना।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि जिन कार्मिकों की सेवायें दिनांक 02.11.2016 से दिनांक 01.11.2017 तक बैंक में रही हैं अथवा दिनांक 01.11.2017 को नई नियुक्ति के अधीन योगदान किया है को सम्मिलित करते हुए बनाई जायगी। सूचना में दिनांक 31.10.2017 तक सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों को सम्मिलित नहीं किया जायगा। बैंक में निलम्बित कर्मचारियों की सूचना के आगे 'निलम्बित' और बैंक में नई नियुक्ति के समक्ष 'नई नियुक्ति' अनिवार्य रुप से स्तम्भ विशेष में लिख दें। तात्पर्य यह है कि जिन कार्मिकों का बैंक में दिनांक 01.11.2017 को धारणाधिकार (लियन) है, उन्हें सूचना में सम्मिलित किया जायगा। सूचना वेतन दर के आधार पर बनाई जायगी , कर्मचारी के अवकाश पर रहने अथवा निलम्बित रहने के आधार पर भुगतानित धनराशि पर नहीं ।

सूचना के अन्त में त्यागपत्रित,सेवापृथक/सेवाच्युत व मृतक कर्मचारियों के नाम के सम्मुख क्रमशः त्यागपत्र तिथि, सेवाच्युत तिथि व मृत्यु तिथि तथा ग्रेच्युटी संख्या व ई0पी0एफ0 संख्या अंकित कर दें परन्तु वेतन की दर का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योकि वे बैंक में दिनांक 01.11.2017 को कार्यरत नहीं हैं।

स्थानान्तरित होकर आये कार्मिकों के सम्मुख किस शाखा से आये हैं तथा स्थानान्तरित होने के बाद किस शाखा को गये हैं, का उल्लेख विशेष स्तम्भ में अवश्य किया जाय। बैंक के आदेशांक सी–268/लेखा/2003–04 के व्दारा अप्रैल,2004 से वेतन का भुगतान एक रुपये में पूर्णांकित कर किया जा रहा है। निश्चित मंहगाई भत्ते की धनराशि तथा प्रतिशत मंहगाई वेतन की धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित कर किया जायगा अर्थात 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ते हुए तथा 50 पैसे या अधिक की धनराशि को अगले रुपये में पूर्णांकित करते हुए धनराशि वेतन के साथ भुगतान की जायगी और विवरणपत्र में भी दर्शाई जायगी। विवरण पत्र में ग्रेच्युटी व ई0पी0एफ0 संख्या का सही–सही उल्लेख अवश्य किया जाय और सभी कालम पूर्ण रुप से भरे जायं। भविष्य में आप व्दारा प्रत्येक वर्ष एक नवम्बर को इसी प्रारुप पर सूचना मुख्यालय प्रेषित की जायगी।

क0 सं0	ग्रेच्युटी सं0	ई0पी0एफ0 सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पिता/पति का नाम	पद	जन्मतिथि
1	2	3	4	5	6	7

बैंक में प्रथम योगदान तिथि	एक नवम्बर, 2017 को वेतन दर					कर्मचारी नवम्बर, 2016 को किस शाखा में कार्यरत था	विशेष विवरण
	मूलवेतन	ग्रेड–पे	निश्चित मंहगाई भत्ता	प्रतिशत मंहगाई भत्ता	योग		
8	9	10	11	12	13	14	15

जिन कर्मचारियों/अधिकारियों को अभी तक छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिला है एवं पूर्व वेतनमान में कार्यरत है उनके सम्बंध में सूचना निम्न प्रारूप पर प्रेषित की जायः–

क0 सं0	ग्रेच्युटी सं0	ई0पी0एफ0 सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पिता/पति का नाम	पद	जन्मतिथि
1	2	3	4	5	6	7

बैंक में प्रथम योगदान तिथि	एक नवम्बर,2017 को वेतन दर					कर्मचारी नवम्बर, 2016 को किस शाखा में कार्यरत था	विशेष विवरण
	मूलवेतन	मंहगाई वेतन 50प्रतिशत	निश्चित मंहगाई भत्ता	प्रतिशत मंहगाई भत्ता	योग		
8	9	10	11	12	13	14	15

ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त सूचना के आधार पर ही भारतीय जीवन बीमा निगम को कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का प्रीमियम भुगतान किया जाता है सही सूचना प्राप्त न होने के

कारण यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी का प्रीमिएम भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा होने से रह जायगा तो उस कार्मिक का जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जायेगा जिसके लिए आप ब्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे। सूचना भेजते समय किसी सदस्य का नाम भी नहीं छूटना चाहिए।

आपको निदेशित किया जाता है कि वांछित सूचना उपर्युक्त प्रारुप पर साफ एवं स्पष्ट फुलस्केप कागज पर समस्त कर्मचारियों की तैयार कर 15 नवम्बर तक रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें।

ह0/–
(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (ग्रेच्युटी)

<u>प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1– प्रबन्धक श्रेणी–3(लेखा),उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रधान कार्यालय के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों का उपरोक्त प्रारूप के अनुसार वेतन विवरण मुख्यालय के ग्रेच्युटी सेल एवं बीमा अनुभाग को नवम्बर, 2017 के प्रथम सप्ताह में भेजने की व्यवस्था करें।

2– समस्त अधिकारीगण,उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

3– उप महाप्रबन्धक (आई0टी0सेल) को वेबसाइट अपडेट/ई–मेल करने हेतु।

ह0/–
महाप्रबन्धक (ग्रेच्युटी)